यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी **त्रुटिपूर्ण** अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग के माह 05/2015 से 10/2017 तक के लेखा– अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस0के0 गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं मो0 सलीम खान, वरि0 लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 22.11.2017 से 04.12.2017 तक श्री आई0के0 जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–I

1. **परिचयात्मकः–** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री राकेश रंजन, सुश्री मानसी जैन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री विनीत कु0 राही, लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 28.05.2015 से 08.06.2015 तक श्री हनुमान सिंह, लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी, जिसमें माह 02/2012 से 04/2015 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2015 से 10/2017 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

   इकाई द्वारा जनपद में स्थापित चिकित्सा इकाईयों के माध्यम से चिकित्सा, स्वास्थ्य, टीकाकरण, परिवार कल्याण एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं योजनाओं का सम्पादन, अनुश्रवण एवं निरीक्षण किया जाता है। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण जनपद रुद्रप्रयाग है।

   (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु0 लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2015–16	–	–	196.13	170.29	141.68	141.68	–	25.84	–	–
2016–17	–	–	230.81	210.73	119.43	119.43	–	20.08	–	–
2017–18 (10/2017 तक)	–	–	192.71	154.23	126.20	–	–	38.48	–	126.20

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः

(रु0 लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**व्यय**	**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
2015–16	एन0एच0एम0, आई0डी0एस0पी0, एन0एल0ई0पी0, एन0टी0सी0पी0 इत्यादि	486.08	271.23	538.22	–	219.09
2016–17		219.09	535.11	422.12	–	332.08
2017–18 (10/2017 तक)		332.08	43.76	160.44	–	215.04

(iii) इकाई को बजट आबंटन केन्द्रांश एवं राज्यांश के रुप में राज्य स्तर से अवमुक्त किया जाता है तथा जिला योजना के अन्तर्गत जिलाधिकारी के माध्यम से प्राप्त होता है। गैर–स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "ए" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः–

अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वाथ्य

⇩

अपर सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

⇩

महानिदेशक

⇩

निदेशक

⇩

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक

⇩

चिकित्सा अधीक्षक

⇩

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी

⇩

वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी

⇩

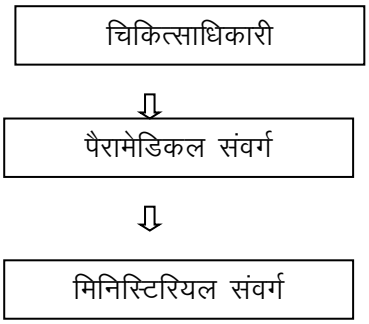

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह दिसम्बर 2015 एवं दिसम्बर 2016 को अधिकतम व्यय के आधार पर विस्तृत जॉच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक– महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–1 स्वास्थ्य विभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों को आवास आबंटन के बावजूद भी मकान किराया भत्ते की कटौती न कर शासकीय हानि।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग के अधीन स्थापित सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को आवंटित शासकीय आवासों से सम्बन्धित लेखा– अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अगस्तमुनि, जखोली एवं ऊखीमठ में नियमित शासकीय कर्मचारियों के साथ–साथ उपनल/संविदा/एन0एच0एम0 के कार्मिकों को शासकीय आवास आवंटित किए जाने के वावजूद भी मकान किराया भत्ते की कटौती नहीं की गयी थी **(संलग्नक–1)**। मकान किराये भत्ते की नियमित कटौती न किए जाने के कारण एक ओर शासकीय हानि हो रही थी दूसरी तरफ जानबूझकर शासकीय सम्पत्ति का दुरुपयोग किया गया था। विस्तृत विवरण निम्नवत् हैः–

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अगस्तमुनि

(i) डा0 गीता, हौम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी को टाईप–4 का आवास वर्ष 2013 में आवंटित किया गया था परन्तु मकान किराया भत्ते की कटौती सितम्बर 2017 से की गयी थी। स्वास्थ्य केन्द्र के पास इस तरह के कोई अभिलेख/साक्ष्य मौजूद नहीं थे जो यह सिद्ध करे कि सम्बन्धित हौम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी को उनके विभाग द्वारा कुल कितना मकान किराया भत्ता प्राप्त हो रहा था एवं हौम्योपैथिक विभाग, रुद्रप्रयाग द्वारा कुल कितनी राशि मकान किराया भत्ते की कटौती की गयी थी। सूचना के अधिकार में हौम्योपैथिक विभाग, रुद्रप्रयाग द्वारा स्वीकार किया गया कि उक्त चिकित्सा अधिकारी को माह सितम्बर 2017 से ही मकान किराया भत्ते की कटौती की जा रही है। इसप्रकार, उक्त अधिकारी को आवास आबंटन की तिथि से अगस्त 2017 तक किसी भी प्रकार के मकान किराया भत्ते को कटौती नहीं की गयी। अभिलेखों के अभाव में वास्तविक कटौती की गणना लेखापरीक्षा में ज्ञात नहीं की जा सकी।

(ii) श्रीमती पार्वती भट्ट, प्रधान सहायक को टाईप–2 का आवास माह अक्टूबर 2011 में आवंटित किया गया था परन्तु मकान किराया भत्ते की कटौती अगस्त 2017 तक नहीं की गयी थी। सितम्बर 2017 से उक्त कार्मिक की कटौती प्रारम्भ की गयी। स्वास्थ्य केन्द्र के पास उक्त कर्मचारी के आवास आवंटन से सम्बन्धित मूल आदेश उपलब्ध नहीं थे। इसप्रकार, वेतन पंजिका के अनुसार

श्रीमती पार्वती भट्ट, प्रधान सहायक को शासकीय आवास आवंटित होने की तिथि अक्टूबर 2011 से अगस्त 2017 तक मकान किराया भत्ते के रुप में रु0 1,08,180 की कटौती की जानी चाहिए थी।

(iii) उपनल के माध्यम से दो कार्मिकों क्रमशः श्री प्रमोद, कक्ष सेवक एवं श्री सुन्दर, धोबी को टाईप–1 के दो शासकीय आवास आबंटित किए गये हैं परन्तु मकान किराया भत्ते की कटौती अक्टूबर 2017 तक नहीं की गयी है। स्वास्थ्य केन्द्र के पास उक्त दोनों उपनल कर्मियों के आबंटन आदेश एवं कटौती से सम्बन्धित आदेश/अभिलेख उपलब्ध नहीं थे, जिसके कारण वास्तविक कटौती की गणना लेखापरीक्षा में ज्ञात नहीं की जा सकी।

2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जखोली

(i) डा0 आशुतोष कुमार, चिकित्सा अधिकारी को टाईप–3 का आवास माह जुलाई 2017 में आबंटित किया गया था परन्तु मकान किराया भत्ते की कटौती सितम्बर एवं अक्टूबर 2017 में नहीं की गयी थी। उक्त दोनों माह में डा0 आशुतोष कुमार को रु0 2160 प्रतिमाह की दर से कुल रु0 4,320 की कटौती की जानी चाहिए थी।

(ii) कु0 ममता एवं कु0 ममता चौहान, उपचारिका को टाईप–1 के दो आवास माह जुलाई 2017 में आबंटित किए गये थे परन्तु मकान किराया भत्ते की कटौती अक्टूबर 2017 तक नहीं की गयी थी। वेतन पंजिका के अनुसार कु0 ममता एवं कु0 ममता चौहान, उपचारिका को शासकीय आवास आबंटित होने की तिथि जुलाई से अक्टूबर 2017 तक मकान किराया भत्ते के रुप में रु0 14,720 की कटौती की जानी चाहिए थी।

(iii) उपनल/संविदा के माध्यम से पॉच कर्मचारियों क्रमशः श्रीमती खिलपती देवी, श्री मुकेश कुमार, श्री हरेन्द्र सिंह, श्रीमती शशी, कक्ष सेवकों एवं डा0 प्रियशी रावत, चिकित्साधिकारी को टाईप–1 के पॉच शासकीय आवास आबंटित किए गये थे परन्तु मकान किराया भत्ते की कटौती अक्टूबर 2017 तक नहीं की गयी थी। स्वास्थ्य केन्द्र के पास उक्त पॉचों उपनल/संविदा कर्मियों के आबंटन आदेश एवं कटौती से सम्बन्धित आदेश/अभिलेख उपलब्ध नहीं थे, जिसके कारण वास्तविक कटौती की गणना लेखापरीक्षा में ज्ञात नहीं की जा सकी।

3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ऊखीमठ

(i) उपनल/संविदा के माध्यम से तीन कार्मिकों क्रमशः श्रीमती रामेश्वरी रावत, उपचारिका, डा0 अनबगडन/डा0 नताशा, चिकित्सा अधिकारी एवं श्री राकेश सिंह बिष्ट, चौकीदार को तीन शासकीय आवास आबंटित किए गये थे परन्तु मकान किराया भत्ते की कटौती अक्टूबर 2017 तक नहीं की गयी थी। स्वास्थ्य केन्द्र के पास उक्त तीनों उपनल/ संविदा कर्मियों के आबंटन आदेश

एवं कटौती से सम्बन्धित आदेश/अभिलेख उपलब्ध नहीं थे, जिसके कारण वास्तविक कटौती की गणना लेखापरीक्षा में ज्ञात नहीं की जा सकी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि यह प्रकरण बहुत ही गम्भीर प्रकृति का है जिसकी विधिवत जॉच एवं आवश्यक कार्रवाई कर लेखापरीक्षा को सूचित कर दिया जाएगा। इस हेतु उच्चाधिकारियों से निर्देश प्राप्त किए जायेंगे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासकीय आवास आवंटित होने पर मकान किराया भत्ते की कटौती नियमानुसार की जानी चाहिए थी।

अतः स्वास्थ्य विभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों को आवास आवंटन के बावजूद भी मकान किराया भत्ते की कटौती न कर शासकीय हानि का प्रकरण **विभागीय उच्चाधिकारियों** के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक–1

शासकीय आवास आबंटित होने के बावजूद मकान किराये भत्ते की कटौती न किए जाने का विवरण

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	आवास का प्रकार	आबंटन की तिथि	कटौती न किए जाने का अन्तिम माह	मकान किराया भत्ते की राशि	कुल माह	कटौती की कुल राशि
(A) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अगस्तमुनि								
1.	डा0 गीता	हौम्यो0 चिकित्साधिकारी	टाईप–4	वर्ष 2013	8/2017	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अगस्तमुनि के पास सूचना उपलब्ध नहीं हैं।		
2.	श्रीमती पार्वती भट्ट	प्रधान सहायक	टाईप–2	10/2011	8/2017	960	16	15360.00
						1120	3	3360.00
						1680	47	78960.00
						2100	5	10500.00
3.	श्री प्रमोद	कक्ष सेवक (उपनल)	टाईप–1	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अगस्तमुनि द्वारा कोई कटौती नहीं की जा रही है।				
4.	श्री सुन्दर	धोबी (उपनल)	टाईप–1	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अगस्तमुनि द्वारा कोई कटौती नहीं की जा रही है।				
(B) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जखोली								
1.	डा0 आशुतोष कुमार	चिकित्साधिकारी	टाईप–3	7/2017	10/2017	2160	2	4320.00
2.	कु0 ममता	उपचारिका	टाईप–1	7/2017	10/2017	1840	4	7360.00
3.	कु0 ममता चौहान	उपचारिका	टाईप–1	7/2017	10/2017	1840	4	7360.00
4.	श्रीमती खिलपती देवी	कक्ष सेवक (उपनल)	टाईप–1	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जखोली द्वारा कोई कटौती नहीं की जा रही है।				
5.	श्री मुकेश कुमार	कक्ष सेवक (संविदा)	टाईप–1	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जखोली द्वारा कोई कटौती नहीं की जा रही है।				
6.	श्री हरेन्द्र सिंह	कक्ष सेवक (संविदा)	टाईप–1	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जखोली द्वारा कोई कटौती नहीं की जा रही है।				
7.	श्रीमती शशी	कक्ष सेवक (संविदा)	टाईप–1	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जखोली द्वारा कोई कटौती नहीं की जा रही है।				

8.	डा0 प्रियशी रावत	चिकित्साधिकारी (संविदा)	टाईप–1	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जखोली द्वारा कोई कटौती नहीं की जा रही है।
(C) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ऊखीमठ				
1.	श्रीमती रामेश्वरी रावत	उपचारिका (एन0एच0एम0)	टाईप–2	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ऊखीमठ द्वारा कोई कटौती नहीं की जा रही है।
2.	डा0 अनबगडन / डा0 नताशा	चिकित्साधिकारी (संविदा)	टाईप–4	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ऊखीमठ द्वारा कोई कटौती नहीं की जा रही है।
3.	श्री राकेश सिंह बिष्ट	चौकीदार (उपनल)	टाईप–1	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ऊखीमठ द्वारा कोई कटौती नहीं की जा रही है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–2 जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत रु0 105.47 लाख के अनियमित व्यय के साथ अधिक भुगतान।

राष्ट्रीय कार्यक्रम जननी सुरक्षा योजना अप्रैल 2005 में प्रारम्भ की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना था ताकि मातृ एवं शिशु मृत्यु की दर को कम किया जा सके। जननी सुरक्षा योजना की निर्देशिका के अनुसार सरकारी अस्पतालों में संस्थागत प्रसव कराने पर महिला को प्रोत्साहन राशि के रुप में ग्रामीण क्षेत्र में रु0 1,400 एवं शहरी क्षेत्र में रु0 1,000 का भुगतान चैक के माध्यम से किया जाना चाहिए। योजना के अधीन लाभार्थी को प्रोत्साहन निधि के वितरण हेतु निर्धारित शर्तों के अनुसार (i) प्रसव की सम्भावित तिथि से 16 से 20 सप्ताह पूर्व प्रत्येक महिला लाभार्थी हेतु जे0एस0वाई0 कार्ड भरा जाना चाहिए एवं सभी वांछित दस्तावेजों सहित उसे प्रसव की सम्भावित तिथि से 2 सप्ताह पूर्व सम्बन्धित स्वास्थ्य केन्द्र के अधिकृत चिकित्सा अधिकारी के पास सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि लाभार्थी को डिस्चार्ज करते समय प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा सके, (ii) लाभार्थी को प्रसव के पश्चात् कम से कम 48 घण्टे स्वास्थ्य केन्द्र में रुकना आवश्यक है, (iii) लाभार्थी को चिकित्सालय से डिस्चार्ज करते समय अनिवार्य रुप से देय राशि का भुगतान किया जाना चाहिए एवं प्रसव से सात दिन पूर्व या सात दिन पश्चात् किया गया कोई भी भुगतान अवैध माना जायेगा। इसके अतिरिक्त आशाओं को नकद प्रोत्साहन राशि दो किश्तों में दी जाएगी, जिसमें प्रथम 50 प्रतिशत राशि लाभार्थी महिला के स्वास्थ्य केन्द्र से डिस्चार्ज के पश्चात् दी जाएगी वशर्ते सम्बन्धित आशा गर्भवती महिला के साथ स्वास्थ्य केन्द्र में प्रसव के समय रही हो तथा अवशेष 50 प्रतिशत राशि प्रसव के एक माह पश्चात् दी जाएगी जब बी0सी0जी0 वैक्सीन बच्चे को दी गयी हो और नवजात शिशुओं के जन्म के समय आशा ने देखभाल और जन्म के पंजीकरण में सहायता की हो।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग के जननी सुरक्षा योजना से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि वर्ष 2015–16 से 2017–18 (10/2017) तक कुल 5,256 लाभार्थियों एवं 2,356 आशाओं (वर्ष 2015–16 : 987, वर्ष 2016–17 : 916 एवं वर्ष 2017–18 : 453) को क्रमशः रु0 72.68 लाख एवं रु0 32.79 लाख[1] का भुगतान किया गया। आगे, अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि लाभार्थियों एवं आशाओं को किया गया रु0 105.47 लाख का

[1] वर्ष 2015–16 : रु0 1312400, वर्ष 2016–17 : रु0 1339400 एवं वर्ष 2017–18 : रु0 627400

भुगतान जे0एस0वाई0 योजना के दिशा–निर्देशों के विपरीत किया गया था, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

1. शत–प्रतिशत प्रकरणों में जे0एस0वाई0 कार्ड प्रसव के दिन ही भरे गये थे।

2. संस्थागत प्रसव कराने वाली 4997 महिलाओं को प्रोत्साहन राशि रु0 69.11 लाख बिना न्यूनतम 48 घण्टे स्वास्थ्य केन्द्र में रुके प्रदान किया गया था।

3. समस्त प्रकरणों में आशाओं को प्रदत्त प्रोत्साहन राशि रु0 32.79 लाख एक ही किश्त में भुगतान किया गया था, जबकि आशाओं को प्रोत्साहन राशि दो किश्तों में दी जानी चाहिए थी।

वर्ष 2015–16 से 2017–18 (10/2017) तक हुए संस्थागत प्रसवों एवं प्रोत्साहन राशि वितरण का विवरण निम्नवत् हैः–

वर्ष	क्षेत्र	कुल संस्थागत प्रसवों की संख्या	48 घण्टे स्वास्थ्य केन्द्रों में रुकने वाले लाभार्थियों की संख्या	48 घण्टे से कम स्वास्थ्य केन्द्रों में रुकने वाले लाभार्थियों की संख्या (Col.3–4)	भुगतान किए गये लाभार्थियों की संख्या	प्रदत्त राशि (ग्रामीण @ 1400 एवं शहरी @ 1000)	देय राशि (ग्रामीण @ 1400 एवं शहरी @ 1000)	आधिक्य भुगतान (Col.7 – Col.8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2015–16	ग्रामीण	1834	10	1824	1834	2567600	14000	2553600
	शहरी	84	01	83	84	84000	1000	83000
2016–17	ग्रामीण	1924	135	1789	1924	2693600	189000	2504600
	शहरी	109	10	99	109	109000	10000	99000
2017–18 (10/2017)	ग्रामीण	1271	100	1171	1271	1779400	140000	1639400
	शहरी	34	03	31	34	34000	3000	31000
योगः–	**ग्रामीण**	**5029**	**245**	**4784**	**5029**	**7040600**	**343000**	**6697600**
	शहरी	**227**	**14**	**213**	**227**	**227000**	**14000**	**213000**
महायोगः		**5256**	**259**	**4997**	**5256**	**7267600**	**357000**	**6910600**

इस प्रकार, योजना के अधीन प्रोत्साहन निधि वितरण हेतु निर्धारित दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करते हुए योजना के अन्तर्गत रु0 105.47 लाख का अनियमित व्यय किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि प्रत्येक गर्भवती महिला को प्रसव उपरान्त चिकित्सीय परामर्श

पर ही चिकित्सालय से छुट्टी दी जाती है। साथ ही पहाडी भू–भाग में अधिकतर सामान्य प्रसव होते हैं एवं प्रसव के पश्चात् लाभार्थियों के निजी अनुरोध पर ही डिस्चार्ज किया जाता है। आशाओं को एकमुश्त राशि के सम्बन्ध में बताया कि प्रोत्साहन धनराशि कम होने एवं आशाओं के निजी अनुरोध पर एक ही किश्त पर माह में एक बार दिया जाता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि योजना के अधीन प्रोत्साहन निधि के वितरण हेतु निर्धारित शर्तों के अनुपालन पर ही लाभार्थियों एवं आशाओं को भुगतान किया जाना चाहिए था। इसप्रकार योजना में निर्धारित शर्तों का अनुपालन न किए जाने पर उनको देय भुगतान अमान्य था।

अतः जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत रु0 105.47 लाख के अनियमित व्यय के साथ अधिक भुगतान के प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–3 त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के परिणास्वरुप रु0 4.07 लाख का अधिक भुगतान।

शासनादेश संख्या 41/xxvii/7 सी भर्ती/2009 दिनॉक 13.02.2009 के अनुसार यदि किसी कार्मिक की भर्ती दिनॉक 01.01.2006 अथवा इसके पश्चात् सीधी भर्ती से हुयी हो तो उनके वेतन बैण्डों एवं ग्रेड वेतन पर न्यूनतम प्रविष्टि वेतन पर वेतन निर्धारित किया जाएगा तथा शासनादेश संख्या 2084/XXVIII-3-2013-142/2008 दिनॉक 31.12.2013 के अनुसार विशेष कार्य अधिकारी (फार्मेसी) का वेतनमान रु0 15600–39100 ग्रेड वेतन रु0 5400 से उच्चीकृत कर वेतनमान रु0 15600–39100 ग्रेड वेतन रु0 6600 संशोधित/उच्चीकृत किया गया था।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग के सेवा पुस्तिकाओं की नमूना जॉच में पाया गया कि श्री परमानन्द गोथवाल, चीफ फार्माशिष्ट का वेतन दिनॉक 01.07.2013 में वेतन 18,680 एवं ग्रेड वेतन रु0 5400 था, जिसे शासनादेश दिनॉक 31.12.2013 के अनुरुप उच्चीकृत किया गया। उच्चीकृत किए गये वेतनमान में शासनादेश का पालन नहीं किया गया। कार्यालय द्वारा कार्मिक को दिनॉक 31.12.2013 में शासनादेश संख्या 41 के क्रम में वेतन को उच्चीकृत करते हुए ग्रेड वेतन रु0 6600 के सापेक्ष रु0 7600 किया गया, जिसके कारण उक्त कार्मिक का वेतन एवं ग्रेड वेतन न्यूनतम रु0 25,984 के स्थान पर रु0 29,500 पर निर्धारण किया गया, जो कि त्रुटिपूर्ण था। दिनॉक 31.12.2013 से 31.10.2017 तक प्रदत्त एवं देय वेतन भुगतान का विवरण निम्नवत् हैः–

दिनॉक	भुगतानित राशि				देय राशि				भुगतान में अन्तर	दिन/माह	वास्तविक भुगतान में अन्तर
	वेतन	ग्रेड वेतन	मंहगाई भत्ता	योग	वेतन	ग्रेड वेतन	मंहगाई भत्ता	योग			
31.12.2013	21900	7600	26550 (90%)	56050	19240	6600	23256	49096	6954	01 दिन	231.00
01.01.2014 से 30.06.2014	21900	7600	29500 (100%)	59000	19240	6600	25840	51680	7320	06 माह	43920.00
01.07.2014 से 31.12.2014	22790	7600	32517 (107%)	62907	20020	6600	28483	55103	7804	06 माह	46824.00
01.01.2015 से 30.06.2015	22790	7600	34341 (113%)	64731	20020	6600	30081	56701	8030	06 माह	48180.00
01.07.2015 से 31.12.2015	23710	7600	37259 (119%)	68569	20820	6600	32630	60050	8519	06 माह	51114.00

7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन निर्धारण											
01.01.2016 से 30.06.2016	81200	–	(0%)	81200	71800	–	–	71800	9400	06 माह	56400.00
01.07.2016 से 31.12.2016	83600	–	1672 (2%)	85272	74000	–	1480	75480	9792	06 माह	58752.00
01.01.2017 से 30.06.2017	83600	–	3344 (4%)	86944	74000	–	2960	76960	9984	06 माह	59904.00
01.07.2017 से 31.10.2017	86100	–	4305 (5%)	90405	76200	–	3810	80010	10395	04 माह	41580.00
योगः–											406905.00

इसप्रकार, उक्त फार्माशिष्ट को दिनॉक 31.12.2013 से 31.10.2017 तक त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण कर रु0 4.07 लाख का अधिक वेतन भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अपने उत्तर में बताया कि शासनादेश दिनॉक 22.08.2014 के द्वारा फार्माशिष्ट संवर्ग को ए0सी0पी0 के अन्तर्गत 26 वर्ष की सेवा पर दिनॉक 31.12.2013 से रु. 7600 ग्रेड वेतन दिए जाने की स्वीकृत प्रदान की गयी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ए0सी0पी0 में 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर रु0 7600 का ग्रेड वेतन उस दशा में दिया जा सकता था यदि कर्मचारी पूर्व से ही रु0 6600 के ग्रेड वेतन में कार्यरत हो। यहॉ उल्लेखनीय है कि उक्त कार्मिक रु0 7600 से पूर्व रु0 5400 के ग्रेड वेतन पर था।

अतः त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के परिणास्वरुप रु0 4.07 लाख के अधिक भुगतान का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–4 रु0 7.64 लाख की सामग्री का अनावश्यक भण्डारण।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग के उपकरणों से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि रु0 7.64 लाख की सामग्री उनकी आपूर्ति की तिथि से बिना उपयोग के पडे हुए हैं, जिनका विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	उपकरण का नाम	आपूर्ति की तिथि	दर	मात्रा	राशि
1.	Emergency Resusciation kit	15.02.2016	93320.00	05	466604.00
2.	Doli Palki	08.09.2015	11893.00	25	297325.00
योगः–					**763929.00**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अपने उत्तर में बताया कि भारत सरकार की योजना के अनुसार जनपद में जनता के स्वास्थ्य लाभ/गर्भवती माताओं की सुरक्षा की दृष्टि से महानिदेशालय द्वारा उक्त सामग्रियां दैवीय आपदा/जनपद को दृष्टिगत रखते हुए उपलब्ध करायी गयी। सामग्री की मॉग का पूर्वानुमान लगाया जाना सम्भव नहीं है। अवशेष सामग्री वर्तमान में उपयोग में लायी जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लगभग दो वर्ष व्यतीत होने के बावजूद डोली पालकी एवं आकस्मिक किटों का चिकित्सालयों को निर्गत न किया जाना कहीं–न–कहीं सामग्री का अनावश्यक भण्डारण किया जाना है।

अतः ₹ 7.64 लाख की सामग्री का अनुवश्यक भण्डारण का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर–1 रु0 123.92 लाख व्यय के बावजूद भी कार्यों का अपूर्ण रहना।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि शासन द्वारा वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में जनपद रुद्रप्रयाग में स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत 04 आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। जिस हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निर्माण निगम, श्रीनगर को कार्यदायी संस्था नियुक्त किया गया। अक्टूबर 2017 तक कार्यदायी संस्था को स्वीकृत धनराशि रु0 762.03 लाख के सापेक्ष मात्र रु0 152.75 लाख ही अवमुक्त किए गये, जिसके कारण रु0 123.92 लाख व्यय किए जाने के बावजूद भी समस्त कार्य प्रारम्भिक अवस्था में ही थे। कार्यों के अपूर्ण रहने का प्रमुख कारण धनाभाव की कमी थी। अपूर्ण निर्माण कार्यों का विवरण निम्नवत् हैः–

(रु0 लाख में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	व्यय राशि
1.	अति0 प्रा0 स्वा0 केन्द्र, बावई	2015–16	165.00	73.95	73.78
2.	अति0 प्रा0 स्वा0 केन्द्र, रानीगढ, धनपुर	2016–17	185.13	5.29	1.57
3.	परिवार कल्याण उप–केन्द्र, कण्डाली	2016–17	46.64	3.56	3.50
4.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग के अनावासीय भवनों का निर्माण	2016–17	365.26	69.95	45.07
योगः–			**762.03**	**152.75**	**123.92**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि वित्तीय वर्ष में जिला योजना द्वारा अनुमोदनोपरान्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निर्माण इकाई को धनराशि अवमुक्त/उपलबध कराई जाएगी।

अतः रु0 123.92 लाख व्यय के बावजूद भी कार्यों का अपूर्ण रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः

लम्बित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या पर की गयी संस्तुति को उप–महालेखाकार के अनुमोदन के पश्चात् तालिका में आंकडों को अद्यतन करने का कष्ट करें।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–।। 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–।। 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
8/2012–13	–	1, 2, 3 एवं 4	–
41/2015–16	–	1*, 2*, 3*, 4, 5* एवं 6	1*, 2 एवं 3*

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
8/2012–13	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–1	कार्यालय द्वारा कोई अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई।	अनुपालन के अभाव में प्रस्तर यथावत् रखे जाने की संस्तुति की जाती है।	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–2	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–3	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–4	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
41/2015–16	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–1	वर्तमान में भूमि हस्तान्तरित की जा चुकी है तथा निर्माण कार्य प्रगति पर है	भूमि हस्तान्तरित हो जाने तथा निर्माण कार्य के प्रगति पर होने के कारण प्रस्तर निरस्त किए जाने की संस्तुति की जाती है।	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–2	रु0 53.47 लाख व्यय कर अवशेष राशि रु0 88.78 लाख (P/588) निर्माण कार्य न हो पाने की दशा में वापस की जा चुकी है।	कार्यालय द्वारा प्रेषित साक्ष्यों (P/576-580, 584 & 588) के आधार पर प्रस्तर निरस्त किए जाने की संस्तुति की जाती है।	

	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–3	अति आवश्यकता की दशा में यात्रा व्यवस्था एवं उच्चाधिकारियों के निर्देशों के अनुपालनार्थ कोटेशन की न्यूनतम दरों पर पंजीकृत फर्मों से यात्रा सफल संचालन एवं यात्रियों की जानमाल को दृष्टिगत रखते हुए पृथक–पृथक क्रय आदेशों से औषधि क्रय की गयी।	समापन बैठक में कार्यालय के उत्तर, केदारनाथ यात्रा के दृष्टिगत एवं कोटेशन के आधार पर पंजीकृत फर्मों से न्यूनतम दरों पर औषधि क्रय किए जाने के आधार पर प्रस्तर निरस्त किए जाने की संस्तुति की जाती है।	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–4	एस0ए0डी0, बक्सीर बांगर के समस्त कार्य पूर्ण एवं विभाग को हस्तगत किए जा चुके है।	कार्यालय द्वारा हस्तान्तरण प्रमाण–पत्र साक्ष्य के रुप में प्रेषित नहीं किया गया। अतः प्रस्तर यथावत रहेगा।	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–5	माह जून 2013 में आयी भीषण आपदा में आपदाग्रस्त क्षेत्रों में चिकित्सकीय सुविधा प्रदान करने हेतु चिकित्सकों के रहने एवं खाने पर व्यय किया गया। तात्कालिकता के कारण राज्य मुख्यालय से प्राप्त निर्देशों के कारण व्यय किया गया।	दैवीय आपदा जून 2013 एवं आपातकालीन स्थिति में आपदा प्रबन्धन मद में प्राप्त धनराशि का उपयोग बिना निविदा/कोटेशन के किया जाना आपदा प्रबन्धन एक्ट में निर्धारित है। अतः प्रस्तर निरस्त किए जाने की संस्तुति की जाती है।	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–6	रोकड बही में कोषागार द्वारा पारित धनराशियों की प्रविष्टियों का अंकन करने सम्बन्धी दिशा–निर्देश मांगे गये हैं।	प्रस्तर पर कोई अग्रिम कार्रवाई नहीं की गयी है अतः प्रस्तर यथावत रहेगा।	
	स्टैन–1	जून 2013 में दैवीय आपदा से मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण टीमों को आंगनबाडी एवं विद्यालयों	स्टैन–1 को वर्तमान निरीक्षण रिपोर्ट में भाग–दो "ब"	

		तक पहुँच पाना सम्भव नहीं हो पा रहा था, आगामी वित्तीय वर्षों में एक भी बच्चा स्वास्थ्य परीक्षण से बंचित नहीं रहेगा।	प्रस्तर–3 में सम्मिलित किया गया है। अतः पूर्व प्रस्तर को निरस्त किए जाने की संस्तुति की जाती है।	
	स्टैन–2	जनपद में मात्र दो क्लेमों की धनराशि मेल न खाने के कारण बीमा कम्पनी द्वारा क्लेम को खारिज किया गया।	साक्ष्य प्रस्तुत न किए जाने के कारण प्रस्तर यथावत रहेगा।	
	स्टैन–3	दैवीय आपदा जून 2013 के कारण खाद्य नमूना संग्रहण के लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो पायी।	दैवीय आपदा को देखते हुए प्रस्तर निरस्त किए जाने की संस्तुति की जाती है।	

भाग–IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

— शून्य —

भाग–V

1. कार्यालय महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार ब्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः–

   (i) }
   (ii) } –– शून्य ––

2. सतत् अनियमितताऐंः

   (i) }
   (ii) } –– शून्य ––

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः–

क्र0 सं0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	डा0 आर0पी0 बडोनी	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	25.09.2014 से 30.04.2017
2.	डा0 ओ0पी0 आर्य	– तदैव –	01.05.2017 से 15.05.2017
3.	डा0 सरोज नैथानी	– तदैव –	16.05.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप–महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ, देहरादून को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.